न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 281/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. सदराम पुत्र ठाकरा 2. बाबूलाल पुत्र सुखराम 3. भागीरथ पुत्र सुखराम 4. सुरती पत्नी सुखराम 5. सुनील कुमार पुत्र किशनाराम 6. चूंकि पत्नी किसनाराम (सुनील कुमार नाबालिक जरिए कुदरती वली माता चूंकि पत्नी किसनाराम) कौम विश्नोई निवासी बामड़ला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

दिनांक :– 24/11/2025

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण सदराम पुत्र ठाकरा जाति बिश्नोई निवासी बामड़ला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी के खेत मौजा बामड़ला पटवार क्षेत्र बामड़ला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खसरा नम्बर 1082/168 रकब 0–8903 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1086/168 रकबा 1–7240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 761/168 रकबा 3–0756 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण संख्या 02 से 06 के खेत खसरा संख्या 1057/168 रकबा 1–9506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1081/168 रकबा 4–8886 हैक्टेयर के आए हुए है। उक्त वर्णित आराजी मूल खसरा संख्या 168 की भूमि है जिसमें पक्षकारों में आपसी सहमति से विभाजन हुआ एवं सभी खसरों को जोड़ने के लिए रास्ता भी राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया व मौके पर नवीन खसरों का नाप करके नक्शा [illegible] तथा उसी अनुसार पक्षकारों की रहवासी ढाणियां, बोरवैल, टांके इत्यादि बने हुए है। [illegible] भूमि में खातेदारों का आपस

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

में बंटवाड़ा का नक्शा एवं नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम को सही किया गया, लेकिन जिस अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई है, उसके क्षेत्रफल के अनुसार रकबा सही नहीं लिखा गया। यानि नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम से राजस्व रेकर्ड(जमाबंदी में लिखा गया रकबा भिन्न है।

क्र. सं.	खसरा संख्या	वर्तमान राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में रकबा	किस्म	वर्तमान नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम का क्षेत्रफल	मौजा	खातेदारों का नाम
1.	1082 / 168	0–8903 हैक्टेयर (5–10 बीघा)	बारानी दोयम	1–1735 हैक्टेयर (7–05 बीघा)	बामड़ला	1. सदराम पुत्र ठाकरा
2.	1086 / 168	1–7240 हैक्टेयर 10–13 बीघा)	बारानी दोयम	2–1043 हैक्टेयर (13–00 बीघा)	बामड़ला	
3.	761 / 168	3–0756 हैक्टेयर (19–00 बीघा)	बारानी दोयम	2–4119 हैक्टेयर (14–18 बीघा)	बामड़ला	
4.	1057 / 168	1–9506 हैक्टेयर (12–01 बीघा)	बारानी दोयम	2–2824 हैक्टेयर (14–02 बीघा)	बामड़ला	1. बाबूलाल पुत्र सुखराम 2. भागीरथ पुत्र सुखराम 3. सुरती पत्नी सुखराम 4. सुनील कुमार पुत्र किशनाराम 5. चूंकि पत्नी किसनाराम
5.	1081 / 168	4–8886 हैक्टेयर (30–04 बीघा)	बारानी दोयम	4–5568 हैक्टेयर (28–03 बीघा)	बामड़ला	

उक्त खसरों का रकबा बंटवाड़ा करते समय भूलवश गलत लिख दिए गए जिसे नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार शुद्ध किया जाना है। वर्तमान में प्रार्थीगण नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार कब्जा–काश्त रहवासी ढाणी, बोरवैल, टांके इत्यादि बने हुए है। विप्रार्थीगण के खेतों का गलत रकबा लिखा हुआ है जिससे ... इत्यादि करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नक्शा ट्रेस के अनुसार है एवं उक्त खसरों के रकबे गलत लिखे हुए है जिन्हें नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally Signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:29 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

रकबे दुरुस्त किए जावे। अतः निवेदन है कि मौजा बामड़ला पटवार क्षेत्र बामड़ला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामड़ला तहसील सेड़वा में खसरा नम्बर 1082/168 रकब 0–8903 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1086/168 रकबा 1–7240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 761/168 रकबा 3–0756 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1057/168 रकबा 1–9506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1081/168 रकबा 4–8886 हैक्टेयर का रकबा नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के क्षेत्रफल के अनुसार दुरुस्त करवाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस तलब किए। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2024/09 दिनांक 09.01.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/645 दिनांक 10.07.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन " **खसरा नंबर 1082/168 रकबा 0–8903 हैक्टेयर, 1086/168 रकबा 1–7240 हैक्टेयर, 761/168 रकबा 3–0756 हैक्टेयर, 1057/168 रकबा 1–9506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1081/168 रकबा 4–8886 हैक्टेयर मूल खसरा संख्या 761/168 व 1057/168 के विभाजन होने के बाद इन खसरों का सृजन किया गया। खसरा नंबर 1057/168 व खसरा नंबर 761/168 का तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांकः भू.अ./2018/3118 दिनांक 18.12.2018 को आपसी सहमति से विभाजन किया गया, जिसको नियमानुसार आदेश की पालना में जरिए नामांतरकरण संख्या 1308 अनुसार विभाजन कर तरमीम की गई। सहमति बंटवाड़ा लिखते वक्त मानवीय भूल से खसरा संख्या 1082/168 रकबा 0–8903 हैक्टेयर कर दिया गया जबकि तरमीम अनुसार इसका रकबा 1–1735 हैक्टेयर होता है। खसरा नंबर 1086/168 रकबा 1–7240 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2–1043 हैक्टेयर होता है। खसरा नम्बर 761/168 रकबा 3–0756 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2–4119 हैक्टेयर होता है। खसरा नम्बर 1057/168 रकबा 1–9506 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2–2824 हैक्टेयर होता है। खसरा नम्बर 1081/168 रकबा 4–8886 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

4–5648 हैक्टेयर होता है। मौके पर शेष खसरा नंबर 1083/168, 1084/168, 1087/168, 1088/168, 167 रकबा क्रमशः 5–3094 हैक्टेयर, 1–3354 हैक्टेयर, 1–8372 हैक्टेयर, 0–0404 हैक्टेयर, 0–161874 हैक्टेयर मौके रेकर्ड जमाबंदी एवं तरमीम अनुसार सही है। मौके पर सम्पूर्ण खसरों की पैमाईश कर पृथक–पृथक रकबा निकाला गया। मौके पर मूल खसरा संख्या 761/168 व 1057/168 की रकबा अनुसार भूमि मौके पर पूर्ण है। खसरा नम्बर 1082/168, 1086/168, 761/168, 1057/168, 1081/168 तरमीम अनुसार रकबा क्रमशः 2–1043 हैक्टेयर, 2–4119 हैक्टेयर, 2–2824 हैक्टेयर, 4–5648 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1082/168 का 1–1735 हैक्टेयर रकबा तरमीम एवं मौका स्थिति अनुसार है। मौके पर दोनों पक्षों द्वारा तरमीम अनुसार रकबा शुद्ध किए जाने पर सहमति दी गई।"

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 281/2024 उनवान सदराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पत्रांकः भू.अ./2025/645 दिनांक 10.07.2025, मौका फर्द दिनांक 15.06.2025 के मुताबिक राजस्व अभिलेख में तद्नुसार दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते है। **तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/645 दिनांक 10.07.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.06.2025) इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:29 IST
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 645 दिनांकः—10.07.2025

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला— बाड़मेर)

विषयः— राजस्व वाद संख्या 281 / 2024 अनवान सदराम वगैरह बनाम तहसीलदार सेडवा अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंगः— श्रीमान जी आपके राजस्व वाद संख्या 281 / 2024 के के क्रम में

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 281 / 2024 अनवान सदराम वगैरह बनाम तहसीलदार सेडवा अन्तर्गत RLR धारा 136,131 में तरमीम दुरस्ती के सम्बन्ध में राजस्व ग्राम बामडला के खसरा नंबर 1082 / 168, 1086 / 168, 761 / 168, 1057 / 168, 1081 / 168, में तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अभिलेख निरीक्षक बामडला द्वारा दिनांक 15.06.2025 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्रांक के सलंग्न भिजवाई जा रही है।

सलंगनः— उरोक्तानुसार

भवदीय

(पन्नाराम चौधरी)
तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

Signature valid
Digitally signed by Panna Ram Choudhary
Designation: Tehsildar
Date: 2025.07.10 17:59:28 IST
Reason: Approved

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:29 IST
Reason: SelfAttested

RajKaj Ref No.: 16481400

फर्द मौका तरमीम शुद्धि

प्रदर्श का2

अनुमण्डल अधिकारी (SDO) सेढ़वा

आज दिनांक 15/06/2025 को मौजा बामड़ला स्थित श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेढ़वा के राजस्व वाद सं. 281/2024 निर्णय दिनांक 9/01/25 उनवान ~~सोहनलाल~~ सदराम वगैरह बनाम तहसीलदार सेढ़वा एवम् श्रीमान तहसीलदार सेढ़वा के आदेश/क्रमांक/भु.अं/213-212 दिनांक 29/01/2025 की पालना मे मौजा बामड़ला के मौके पर पहुँचा।

मौके पर खसरा न. 1082/168 रकबा 0.8903 है., 1086/168 रकबा 1.7240 है. 761/168 रकबा 3.0756 हैक्टेयर, 1057/168 रकबा 1.9506 है., ख. न. 1081/168 रकबा 4.8886 हैक्टेयर मुल खसरा न. 761/168 व 1057/168 के विभाजन होने के बाद इन खसरो का सृजन किया गया।

खसरा न. 1057/168 व खसरा न. 761/168 का श्रीमान तहसीलदार सेढ़वा ~~खास~~ के आदेश/क्रमांक/भु. अ./2018/3118 दिनांक 18.12.2018 को आपसी सहमती से विभाजन किया गया। जिसको नियमानुसार आदेश की पालना मे जरिये नामान्तरण सं. 1308 अनुसार विभाजन कर तरमीम की गई।

सहमती बंटवारा लिखते वक्त मानवीय भुल से खसरा 1082/168 रकबा 0.8903 हैक्टेयर कर दिया गया जबकि तरमीम अनुसार इसका रकबा 1.1735 हैक्टेयर होता है खसरा न. 1086/168 रकबा 1.7240 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2.1043 हैक्टेयर होता है। खसरा नम्बर 761/168 रकबा 3.0756 है. जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2.4119 हैक्टेयर होता है। खसरा नम्बर 1057/168 रकबा 1.9506 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार 2.2824 हैक्टेयर होता है। खसरा नम्बर 1081/168 रकबा 4.8886 हैक्टेयर जिसका रकबा तरमीम अनुसार 4.5648 हैक्टेयर होता है।

मौके पर शेष खसरा न. 1083/168, 1084/168, 1087/168, 1088/168, 167 रकबा क्रमशः:- 5.3094 है., 1.3354 है., 1.8372 है., 0.0404 है., 0.161874 है. मौके रेकर्ड जमाबंदी एवम् तरमीम अनुसार सही है।

मौके पर सम्पूर्ण [illegible] पैमाईश कर पृथक-पृथक रकबा निकाला गया [illegible] खसरा न. 761/168 व 1057/168 कि रकबा अनुसार भुमि मौके पर पुर्ण है। खसरा नम्बर 1082/168, 1086/168, 761/168, 1057/168, 1081/168 तरमीम अनुसार

P. T. O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

रकबा क्रमशः :- 2.1043 हैक्टेयर, 2.4119 ~~3.0756~~ हैक्टेयर, 2.2824 हैक्टेयर, 4.5648 हैक्टेयर, ख.नं. 1082/168 का 1.1735 हैक्टेयर रकबा तरमीम स्वरूप मौकास्थित अनुसार है।

मौके पर दोनों पक्षों द्वारा तरमीम अनुसार रकबा शुद्ध किये जाने पर सहमती दी गई।

फर्द मौका मौके पर तैयार कर पढ़कर सुनाई गयी एवं उपस्थित मौतबरान के हस्ताक्षर करवाये गये।

संलग्न :- बंटवारा प्रति।

:- नामान्तरण प्रति

प. नाहरसिंह

15/6/25 ILR नामडला

तहसीलदार (भु.अ.) सेड़वा

भजनलाल

शोहनलाल डिशलोई

मोहनलाल

बाबुलाल

अं. दयापद

अं. सुरत

अं. भागीरथ

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:01:29 IST
Reason: SelfAttested

सोहनलाल डिशलोई

भारमलराम

बाबूलाल

हीराराम

चूकी